भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 202
08.12.2022 को उत्तर के लिए

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता

202. श्री कार्तिकेय शर्मा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले छह महीनों से एनसीआर और विशेष रूप से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता सूचकांक के ग्राफ का माह-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण के कारणों और इसके प्रभावों का पता लगा लिया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या पड़ोसी राज्य पंजाब में पराली जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण होता है; और
(ड.) यदि हां, तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) एनसीआर के प्रमुख शहरों (दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुडगांव और फरीदाबाद) के गत छः महीनों (जून, 2022 - नवंबर, 2022) के वायु गुणवत्ता सूचकांक संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जून से सितंबर, 2022 के दौरान अधिकांश दिन अच्छा, संतोषजनक, सामान्य श्रेणी में आते हैं। वर्ष 2022 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता अक्तूबर-नवंबर की तुलना में जून-सितंबर की अवधि के दौरान बेहतर थी। जून से नवंबर, 2022 के दौरान दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति (दिनों की संख्या) **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) और (ग) दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण, कई कारकों का सामूहिक परिणाम है जिसमें एनसीआर में उच्च घनत्व आबादी वाले क्षेत्रों में मानव जनित कार्यकलापों का उच्च स्तर शामिल है जो विभिन्न क्षेत्रों नामत: वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण एवं विध्वंस संबंधी परियोजना कार्यकलापों से उत्पन्न धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल, बायोमास जलाना, कृषिगत पराली का जलना, नगरीय ठोस अपशिष्ट का जलना, सैनिटरी लैंडफिल में आग लगना और फैले हुए स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण, पटाखों के फोड़ने आदि से उत्पन्न होता है।

(घ) और (ङ) भारत के उत्तरी राज्यों पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों और एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में धान की पराली जलाने संबंधी मामले चिंता का विषय हैं और ये विशेष रूप से अक्तूबर और नवंबर के बीच की अवधि के दौरान एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर गंभीर रूप से प्रभाव डालते हैं, जब जलवायु और मौसम की परिस्थितियां वायु प्रदूषकों को फैलाने में प्रतिकूल होती हैं।

पराली जलाने संबंधी कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) मंत्रालय ने किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत, बेहतर वायु गुणवत्ता, जीएचजी उत्सर्जन को कम करने और रोजगार के अवसरों के उद्देश्य से पराली का उपयोग अनुपूरक ईंधन के रूप में करने हेतु फसल अवशिष्टों/पराली के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम); सीपीसीबी, केन्द्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न विभागों के साथ कई बैठकें की हैं।

(2) आयोग ने पराली जलाने के प्रभावी निवारण और नियंत्रण के लिए एक रूपरेखा और कार्य योजना विकसित की है। इस रूपरेखा/कार्य योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सीआरएम मशीनों की खरीद, कस्टम हाइरिंग केन्द्रों की स्थापना, उच्च उत्पादन और छोटी अवधि की धान किस्मों, फसल काटने के समय में सांतरण, आईएआरआई द्वारा जैव-अपघटक के व्यापक उपयोग जैसे कार्यकलापों के लिए कृषि मंत्रालय की सीआरएम स्कीम द्वारा समर्थित स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन।

(ii) बाह्य स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन - बायोमास विद्युत परियोजनाएं, ताप विद्युत संयंत्रों में आग के सहायक साधन, 2जी इथनॉल संयंत्रों के लिए कच्ची सामग्री, कंप्रेस्ड बायोगेस संयंत्र में कच्ची सामग्री, औद्योगिक भट्टियों, डब्ल्यूटीई संयंत्रों में ईंधन पैक करने की सामग्री आदि के रूप में धान के भूसे का वैकल्पिक उपयोग।

(iii) पराली/फसल अवशिष्ट के जलाने पर निषेध

(iv) प्रभावी निगरानी/प्रवर्तन

(v) धान के भूसे के सृजन को कम करने संबंधी स्कीम

(vi) कार्य की योजना के लिए आईईसी कार्यकलाप

(vii) आग लगने की घटनाओं की संख्या की रिकॉर्डिंग और इनकी निगरानी के लिए मानक प्रोटोकॉल

अनुबंध-I

जून से नवंबर, 2022 के दौरान दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक का ग्राफ


